(b) if so, what action Government have taken or propose to take against the firm for the contravention of Section 211 of the Companies Act, 1956?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS AND HOME AFFAIRS (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN): (a) Part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 requires a company to give value and quantity of each "class of goods" produced and not "product wise". As per balance sheets and Profit and Loss Accounts of Parle (Exports) Private Ltd., for the years ended 31st March, 1980 to 31st March, 1984 and the attached account of its subsidiaries thereto, the company has disclosed the information, both in quantity and value in respect of opening stock, purchases, production, sales closing stock and raw material consumed, in respect of each class of goods manufactured by the company and accordingly, it can be considered to have complied with the provisions of Part II of Schedule VI of the Companies Act, 1956.

(b) Does not arise, in view of (a) above.

निजी उद्यमियों द्वारा एजेंटों का नियुक्त किया जाना

1723. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निजी उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री के लिए एजेंटों की नियुक्ति की जाती है; यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट किए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये एजेंट इन उत्पादों को निर्धारित दरों से अधिक दर पर बेच रहे हैं तथा खातों में बिना किसी इन्दराज के नकली/घटिया किस्म की वस्तुएं बेचते हैं जिसके द्वारा वे काला धन कमाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस पहलू पर निगरानी रखने के लिए कौन से उपाय करने का विचार रखती है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) (क) हां, श्रीमान् जी । एजेन्टों या वितरकों की नियुक्ति सामान्यतः पार्टियों के मध्य हुए करार द्वारा नियंत्रित की जाती है और केवल एकमात्र विक्रय एजेन्टों की नियुक्ति को कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है । इससे आगे, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294कक के अन्तर्गत एकमात्र विक्रय एजेन्टों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन केवल निम्नलिखित मामलों में अपेक्षित है :—

(1) एकमात्र विक्रय एजेंट कम्पनी में पर्याप्त हित रखता है ; और

(2) कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 50 लाख रु० या अधिक है ।

एकमात्र विक्रय एजेन्टों की नियुक्ति के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 294कक के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए आवेदनों पर यह सुनिश्चित करने के लिए गुणावगुण पर विचार किया जाता है कि इस प्रकार की नियुक्ति उचित और युक्तियुक्त है तथा एकमात्र विक्रय एजेन्टों द्वारा की गई सेवाएं एकमात्र विक्रय एजन्टों के देय अदायगी/कमीशन के सम्मेय है ।

सरकार ने, अधिनियम की धारा 294कक के अन्तर्गत सीमेन्ट, वनस्पति, चीनी, कागज और थोक औषधियों की बिक्री के लिए कम्पनियों द्वारा एकमात्र विक्रय एजेंटों की नियुक्ति को वर्जित किया है ।

(ख) और (ग) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत उचित लेखा बहियों को रखना अपेक्षित है, और इन लेखाओं की यथा चार्टर्ड लेखापाल द्वारा लेखा परीक्षा की जानी अपेक्षित है । अगर बिक्री की उचित प्रविष्टि

को कम्पनियों द्वारा अपनी लेखा बहियों में नहीं किया जाता है तो लेखा परीक्षक को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत उसकी रिपोर्ट करना अपेक्षित है तथा आवश्यक कार्यवाही इस मामले में की जाती है ।

बिहार के महाडाकपाल द्वारा आयोजित वार्षिक बैठक

1724. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सर्किल के महाडाकपाल औपचारिक वार्षिक बैठकों का आयोजन इस प्रकार से करते है कि सदस्यों को समय पर सूचना नहीं दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप संसद के 76 सदस्यों में से केवल 5–6 सदस्य ही बैठक में शामिल हो पाते हैं, यदि हां, तो इस युक्ति चालन के पीछे क्या इरादा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सदस्यों की बैठक की तारीख के संबंध में निर्धारित समय से काफी पहले सूचित किये जाने के लिये अनेक बार लिखित रूप में अनुरोध करने के बावजूद भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ;

Variation in prices of crude oil

1725. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of PETROLEUM be pleased to state:

(a) the cost at which crude oil is produced in the country and imported from abroad, separately, per barrel;

(b) the refining cost of crude oil per barrel;

(c) the amount of excise duties and other taxes levied per barrel on indigenous and imported crude oil; and

(d) whether there is any proposal to reduce the price at which petrol is available to the consumers; if so, the detail thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM (SHRI NAWAL KISHORE SHARMA): (a) The current average price (inclusive of all duties) of indigenous crude is Rs 1382/MT and of imported crude is Rs. 3152/MT.

(b) The current average all India refining cost is about Rs. 18.50/bbl.

(c) The amount of excise duties and other taxes levied per metric tonne on indigenous and imported crude oil are as under: (one metric tonne equals about 7.3 barrels)

	Rs./MT
Indigenous	
Royalty	6i
Cess	30 c
Central Sales Tax . . .	
Imported	
Auxiliary duty Customes duty . . .	300
(10% ad valorem) . .	248

(d) No Sir.

औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र का सकल देशीय उत्पाद में योगदान

1726. **श्री सत्यपाल मलिक:** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र का कुल देशीय उत्पाद में योगदान कितने प्रतिशत रहा है ; और

(ख) यह प्रतिशत बाकी एशियाई देशों के मुकाबले में कितना है ?